न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2024/44
मिसल नम्बर–12 / 2024

1.महावीर कुमार आत्मज श्री सूरजमल जाति महाजन
2.राजेन्द्र कुमार आत्मज सूरजमल जाति महाजन निवासीगण ग्राम मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा
2.राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर, कोटा
3.मन्दिर श्री चतुर्भुज जी महाराज विराजमान ग्राम मन्दरगढ़ जरिये तहसीलदार लाडपुरा, कोटा
4.केलाश पुत्री भंवरलाल जाति लोधा
5.कान्ती पुत्री भंवरलाल जाति लोधा
6.जगदीश आत्मज भंवरलाल जाति लोधा
7.नन्द बिहारी आत्मज भंवरलाल जाति लोधा
8.भंवानी शंकर आत्मज भंवरलाल जाति लोधा
9.सम्पत बाई पत्नी भंवरलाल जाति लोधा निवासीगण ग्राम सोहनपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 27/10/25

उपस्थितिः–
1.श्री सियाराम नागर अधिवक्ता प्रार्थी ।
2.श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अप्रार्थी नं0 4 लगायत 9 अधिवक्ता।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मन्दरगढ़ तहसील लाडपुरा जिला कोटा में, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की खसरा नम्बर 185 रकबा 4.18 है0 आराजी स्थित है। जिसका हर वर्ष की भॉति इस वर्ष भी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की आराजी खसरा नम्बर 185 के पूर्वी और खसरा नम्बर 186 व खसरा नम्बर 186 से लगवा पूर्वी तरफ मुख्य सड़क से लगवा खसरा नम्बर 189 आराजी स्थित है, खसरा नम्बर 186 की आराजी मन्दिर श्री चतुर्भूज जी महाराज के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा खसरा नं0 189 अप्रार्थी क्रम 4 लगायत 9 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 185 पर मुख्य रोड से लगवा जो खसरा नं0 189 की पूर्वी – उत्तरी मेर पर से होकर खसरा नं0 186 में आता है और खसरा नं0 186 की पूर्वी – उत्तरी मेर पर से होकर अपनी आराजी खसरा नं0 185 पर आता है। प्रार्थीगण का कदिमी रास्ता खसरा नं0 186, 189 की आराजी के पूर्वी उतरी मेर पर से जिसका उपयोग व उपभोग कर हर वर्ष की भॉति अपनी आराजी खसरा नं0 185 की आराजी पर आता जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। खसरा नम्बर 186 पर आने जाने का रासता भी खसरा नं0 189 उत्तरी पश्चिमी मेर पर से ही होकर है। जिसका उपयोग कर खातेदार अपनी आराजी पर आते जाते रहे है। दिनांक 26.10.2023 को अप्रार्थी कम 3 लगायत 9 द्वारा प्रार्थीगण को आराजी के आने जाने के प्रचलित रास्ते से रोकने का प्रयास किया और कहा कि उक्त रास्ते पर से हम आने जाने नहीं देगें, जिसपर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से कारण जानने का प्रयास किया तो अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी सूरत में रास्ता देने से इंकार कर दिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी ग्राम मन्दरगढ़ स्थित खसरा नं0 185 के प्रचलित रास्ता खसरा नं0 188, 189 के उत्तरी पूर्वी रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे और न ही प्रार्थीगण को आने जाने से नहीं रोके। और नियमानुसार रास्ते की भूमि का मुआवजा प्राप्त करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीगण के पक्ष में हो वह अप्रार्थीगण से दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 4 लगायत 9 ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर यह जाहिर किया है कि प्रार्थी का कदीमी रास्ता ख0नं0 186, 189 की आराजी के पूर्वी उत्तरी मेर पर से होना तथा उसका उपयोग उपभोग कर हर वर्ष की भांति अपनी आराजी ख0नं0 185 की आराजी पर आना जाना स्वीकार नहीं है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की आराजी पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं होना स्वीकार नहीं है। ख0नं0 189 की पूर्वी उत्तरी मेर से होकर कभी भी प्रार्थीगण की भूमि ख0नं0 185 में आने जाने का रास्ता नहीं रहा है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण पूर्व से ही ख0नं0 189/1 व ख0नं0 110 के मध्य मेर से होकर ख0नं0 186 की उत्तरी पूर्वी मेर से होकर ख0नं0 185 की भूमि में आते जाते रहे हैं। उक्त वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद प्रार्थीगण द्वारा केवल अपने सुविधाजनक व सुगम रास्ता प्राप्त करने के दुराशय से मिथ्या कथन करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मिथ्या होने से निरस्तनीय है। प्रतिपक्षी सं0 4 लगायत 7 के खाते की ख0नं0 189 की पूर्वी उत्तरी मेर से होकर कभी भी प्रार्थीगण के खाते की भूमि में आने जाने का रास्ता नहीं रहा है

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

इस कारण तथाकथित रूप से दिनांक 26.10.2023 को प्रार्थीगण के तथाकथित रास्ते में आने जाने के प्रतिपक्षीगण द्वारा रोकने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वास्तविकता में प्रार्थीगण के खाते की भूमि ख0नं0 185 में आने जाने हेतु पूर्व से ही वैकल्पिक मार्ग ख0नं0 189/1 एवं ख0नं0 110 के मध्य मेर से होकर ख0नं0 186 की उत्तरी पूर्वी मेर से होकर विद्यमान रहा है जिसे प्रार्थीगण पूर्व से ही उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने से प्रार्थीगण द्वारा दुर्भाविक आशय से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होकर निरस्तनीय है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में तथाकथित रूप से वर्णित रास्ता कदीमी रास्ता होना तथा उसका हर वर्ष की भांति उपयोग उपभोग करते चले आना तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा उन्हें रोकने, आने जाने नही देने का कथन करते हुये उक्त आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के तथाकथित अभिवचनों के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के समक्ष क्षेत्राधिकार व श्रवण योग्य है तथा धारा 251 ए के तहत उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य व क्षेत्राधिकार का नहीं होने से क्षेत्राधिकारिता के अभाव में कानूनन पोषणीय नहीं होकर निरस्तनीय है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण की खाते की तथाकथित ख0नं0 185 की भूमि में आने जाने हेतु पूर्व से ही वैकल्पिक मार्ग के रूप में ख0नं0 189/1 एवं ख0नं0 110 के मध्य मेर से होकर ख0नं0 186 की उत्तरी पूर्वी मेर से होकर रहा है जिसे प्रार्थीगण पूर्व से ही उपयोग उपभोग करते आये है। उक्त वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद प्रार्थीगण द्वारा दुर्भाविक आशय से सुविधाजन एवं सुगम उपयोग हेतु प्रतिपक्षी संख्या 4 लगायत 9 के खाते की ख0नं0 189 की उत्तरी पूर्वी मेर से तथाकथित रास्ता होने कामिथ्या कथन करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो सारहीन होने से निरस्तनीय है। ख0नं0 189 की उत्तरी पूर्वी मेर से होकर कभी भी प्रार्थीगण के खाते की भूमि में आने जाने का रास्ता नहीं रहा है और तथाकथित रास्ता कदीमी और प्रचलित रास्ता कभी भी नहीं रहा है। यहां यह भी महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है कि ख0नं0 189 व ख0नं0 189/1 के पूर्व खातेदारान एक ही थे उक्त ख0नं0 189 तरमीम होकर दो खसरा नं0 189 व 189/1 में विभक्त हुआ है इस कारण ख0नं0 189 व 189/1 के मध्य तथाकथित मेर से होकर प्रार्थीगण के खाते की भूमि में आने जाने का कदीमी रास्ता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण को प्रतिपक्षी सं0 4 लगायत 9 के खाते की ख0नं0 189 की आराजी की उत्तरी पूर्वी मेर मे होकर नया रास्ता कायम करवाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण को वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद प्रार्थीगण ने मिथ्या आधारों पर यह आवेदन प्रस्तुत किया है इस कारण मौके की वास्तविक स्थिति व वैकल्पिक मार्ग का अस्तित्व है अथवा नहीं। प्रार्थीगण की आवश्यकता अत्यान्तिक है अथवा नहीं आदि बाबत विधि सम्मत मौका रिपोर्ट उभय पक्षों की उपस्थिति में मंगवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा समीपस्थ ख0नं0 189/1, 110 व अन्य समीपस्थ खातेदारान जो कि प्रस्तुत आवेदन में आवश्यक पक्षकार है उनको दुर्भावनापूर्वक

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

आशय से पक्षकार नहीं बनाया है। इससे प्रार्थीगण की दुर्भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इस कारण उक्त समीपस्थ खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना तथा उनके खाते की आराजी में से समान रूप से नया रास्ता कायम किये जाने हेतु अनुतोष चाहे बिना प्रार्थीगण का यह आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं होने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 06.05.2025 को प्रस्तुत हुई, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि प्रार्थीगण स्वयं की आराजी खसरा संख्या 185 तक पहुॅचने के लिए 189/1, 189 की मेड के सहारे खसरा नं0 186 के दक्षिणी पूर्वी कोने से खसरा संख्या 187, 188 की उत्तरी मेड का प्रयोग किया जाता है परन्तु मोके पर निशानात नही है। उक्त रास्ता 545 मी0 लम्बा है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा नं0 185 पर पहुचने का वैकल्पिक मार्ग दर्ज रिकॉर्ड नही है। खसरा नं0 194 गै0 मु0 रास्ता से खसरा नं0 191 एवं खसरा नं0 190, 188, 187 की मेड से होते हुय खसरा नं0 185 तक पहुचा जा सकता है। जिसकी लम्बाई 260 मी0 बनती है जिससे पहुच आसान हो जाती है।

हमने उभय पक्षकारों के अभिभाषक की बहस सुनी।

उभयपक्ष की ओर से दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र उसके जवाब तथा उभय पक्ष की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 185 पर मुख्य रोड से लगवा जो खसरा नं0 189 की पूर्वी उत्तरी मेर पर से होकर खसरा नं0 186 में आता है और खसरा नं0 186 की पूर्वी उत्तरी मेर पर से होकर अपनी आराजी खसरा नं0 185 पर आता है। प्रार्थीगण का कदिमी रास्ता खसरा नं0 186, 189 की आराजी के पूर्वी उतरी मेर पर से जिसका उपयोग व उपभोग कर हर वर्ष की भॉति अपनी आराजी खसरा नं0 185 की आराजी पर आता जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

अप्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीगण के तथाकथित अभिवचनों के आधार पर प्रार्थीगण का आवेदन धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के समक्ष क्षेत्राधिकार व श्रवण योग्य है तथा धारा 251 ए के तहत उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य व क्षेत्राधिकार का नहीं होने से क्षेत्राधिकारिता के अभाव में कानूनन पोषणीय नहीं होकर निरस्तनीय है।

साथ ही तहसीलदार द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि प्रार्थीगण स्वयं की आराजी खसरा संख्या 185 तक पहुॅचने के लिए 189/1, 189 की मेड के सहारे खसरा नं0 186 के दक्षिणी पूर्वी कोने से खसरा संख्या 187,

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

188 की उत्तरी मेड का प्रयोग किया जाता है परन्तु मोके पर निशानात नही है। चूंकि स्वयं प्रार्थीगण का यह कथन रहा है कि प्रार्थीगण का कदिमी रास्ता खसरा नं0 186, 189 की आराजी के पूर्वी उतरी मेर पर से जिसका उपयोग व उपभोग कर हर वर्ष की भॉति अपनी आराजी खसरा नं0 185 की आराजी पर आता जाता है जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पास अपनी जोत तक पहुॅचने के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। यदि वर्तमान में उक्त मार्ग अवरूद्ध है या उस पर अतिक्रमण किया हुआ है तो प्रार्थीगण को सर्वप्रथम धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। परन्तु प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा में धारा 251 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करके धारा 251 ए के तहत हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है।

हमने धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अनेक बार यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि धारा 251 (क) का प्रयोग उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जबकि रास्ते का आत्यन्तिक अभाव हो। तहसीलदार रिपोर्ट से प्रमाणित है कि हस्तगत प्रकरण में रास्ते का आत्यान्तिक अभाव नही है। वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। जिस कारण से प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नही पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा